

कार्यपालिक सारांश

पृष्ठभूमि

यह प्रतिवेदन मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिये राजस्थान सरकार के अंकेक्षित लेखों के आधार पर राज्य सरकार के वित्त का विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत करता है। राज्य के वित्तीय निष्पादन का आंकलन सरकार के राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, बजट दस्तावेजों, वर्ष 2012-13 की आर्थिक समीक्षा, तेरहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन तथा विभिन्न सरकारी विभागों एवं संगठनों से प्राप्त किये गये अन्य वित्तीय आँकड़ों के आधार पर किया गया है। प्रतिवेदन को तीन भागों में बाँटा गया है।

अध्याय I वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं 31 मार्च 2013 को राजस्थान सरकार की राजकोषीय स्थिति का आंकलन करता है। यह बजट से इतर राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को केन्द्रीय निधियों के सीधे अंतरण के संक्षिप्त विवरण के अलावा प्रतिबद्ध व्यय की प्रवृत्तियों, उधार के पैटर्न की जानकारी देता है।

अध्याय II विनियोग लेखे पर आधारित है तथा यह विनियोगों का अनुदान-दर-अनुदान विवरण एवं सेवा प्रदाता विभागों द्वारा उन्हें आवंटित संसाधनों का जिन तरीकों से प्रबन्ध किया गया, को दर्शाता है।

अध्याय III राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों की अनुपालना का विवरण है।

प्रतिवेदन में निष्कर्षों के समर्थन में विभिन्न स्त्रोतों से एकत्रित किये गये अतिरिक्त आँकड़ों का परिशिष्ट 1 भी दिया गया है। अन्त में दिए गए परिशिष्ट 4.1 में इस प्रतिवेदन में उपयोग में लिये गये राज्य अर्थव्यवस्था से संबंधित चयनित पदों की परिभाषिक शब्दावली दी गयी है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष एवं सिफारिशें

राज्य सरकार ने कर एवं कर-भिन्न राजस्व दोनों में सुधारात्मक वृद्धि दर्शाते हुए राजकोषीय समेकन की ओर वापसी प्रदर्शित की है। राजकोषीय घाटा राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधित) अधिनियम, 2011 द्वारा निर्धारित 3 प्रतिशत की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.8 प्रतिशत रहा। तथापि, यह 2011-12 में 0.9 प्रतिशत से बढ़कर 2012-13 में 1.8 प्रतिशत हो गया, जोकि वर्ष के दौरान निवल पूँजीगत व्यय और वितरित निवल ऋण एवं अग्रिमों में वृद्धि के कारण था।

(अनुच्छेद 1.2.1, 1.12.1 एवं 1.12.2)

बजट अनुमान: वर्ष 2012-13 के लिए बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय क्रमशः छः प्रतिशत एवं दो प्रतिशत से बढ़े। परिणामस्वरूप, राजस्व अधिशेष बजट अनुमानों की तुलना में ₹ 2,523 करोड़ से बढ़ा। वास्तविक राजकोषीय घाटा एवं प्रारम्भिक घाटा बजट अनुमानों से क्रमशः ₹ 116 करोड़ एवं ₹ 141 करोड़ कम हुए, राजकोषीय घाटा बजट अनुमान में आंकलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2.14 प्रतिशत की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.8 प्रतिशत रहा।

(अनुच्छेद 1.2.1 एवं 1.2.2)

राजस्व प्राप्तियाँ: वर्ष 2012-13 के दौरान, राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ गत वर्ष की तुलना में 17.4 प्रतिशत बढ़ी। राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में वर्ष 2008-09 में 14.5 प्रतिशत से वर्ष 2012-13 में 14 प्रतिशत, मामूली रूप से गिरी।

(अनुच्छेद 1.4)

राजस्व व्यय: वर्ष 2012-13 के दौरान, राजस्व व्यय कुल व्यय का 83 प्रतिशत रहा; आयोजना भिन्न राजस्व व्यय, राजस्व व्यय का 78 प्रतिशत रहा। आयोजना भिन्न राजस्व का कुल राजस्व व्यय से अनुपात गत वर्ष (77 प्रतिशत) की तुलना में एक प्रतिशत से बढ़ा। राज्य की लगभग 57 प्रतिशत प्राप्तियाँ प्रतिबद्ध व्यय में खर्च हुई। प्रतिबद्ध व्यय को नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

(अनुच्छेद 1.7.2, 1.7.5 एवं 1.8.3)

पूँजीगत व्यय को अपर्याप्त प्राथमिकता: पूँजीगत व्यय गत वर्ष की तुलना में 50 प्रतिशत बढ़ा और यह कुल व्यय का 14 प्रतिशत था। यह वर्ष 2012-13 के लिए मध्यकालिक राजवित्तीय नीति विवरण में किये गये आंकलन से 10 प्रतिशत अधिक रहा। मार्च 2013 के अन्त तक उत्तरोत्तर पूँजीगत व्यय में 166 अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध ₹ 8,659 करोड़ शामिल है।

(अनुच्छेद 1.2, 1.7.3, 1.9.2 एवं परिशिष्ट 1.3)

सरकारी निवेशों की समीक्षा: राजस्थान सरकार द्वारा सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त पूँजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों एवं समितियों में किये गये निवेश पर औसत प्रतिलाभ गत तीन वर्षों के दौरान 0.2 एवं 0.4 प्रतिशत के मध्य रहा, जबकि सरकार ने इस निवेश पर 7.4 से 7.7 प्रतिशत का औसत ब्याज चुकाया। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो भारी हानि उठा रहे हैं, के कामकाज की समीक्षा किया जाना विवेकपूर्ण होगा तथा उनके पुनरुद्धार अथवा बन्द करने के लिए उचित नीति बनायी जानी चाहिये।

(अनुच्छेद 1.9.3)

विवेकपूर्ण रोकड़ प्रबन्ध: राज्य के पास ₹ 12,887 करोड़ का बहुत बड़ा अधिशेष रोकड़ रहा। क्योंकि, बहुत बड़ा निष्क्रिय रोकड़ शेष रखना विवेकपूर्ण रोकड़ प्रबन्धन नहीं है, अतः लाभ प्राप्त करने हेतु इसके यथोचित रूप से उपयोग के लिए उचित कदम उठाये जाने चाहिए।

(अनुच्छेद 1.9.7 एवं 1.11.1)

भारत सरकार से राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को सीधे अन्तरित निधियों की अनदेखी: भारत सरकार द्वारा राज्य की कार्यकारी एजेन्सियों को ₹ 7,826 करोड़ की केन्द्रीय निधियों को सीधे ही अन्तरित की गई, जिससे इन एजेन्सियों द्वारा निधियों के अनुपयुक्त उपयोग का जोखिम रहता है। बजट से इतर कार्यकारी एजेन्सियों को सीधे निधियों का अंतरण राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम की पारदर्शिता और जबाबदेही की आवश्यकता को बाधित करता है। इनके उपयोग के अनुश्रवण के

लिए कोई भी एजेन्सी नहीं है तथा किसी वर्ष विशेष में मुख्य फ्लैगशिप योजनाओं पर वास्तव में कितनी राशि का व्यय किया गया है, के आंकड़े सुलभता से उपलब्ध नहीं है।

(अनुच्छेद 1.3.2)

वित्तीय प्रबन्धन और बजटरी नियंत्रण: वर्ष 2012-13 के दौरान, कुल अनुदानों एवं विनियोगों के समक्ष ₹ 6,836.94 करोड़ की समग्र बचत हुई जो दोषपूर्ण बजट को दर्शाती है। अनुदान संख्या 11 एवं 20 में हुए आधिक्य व्यय ₹ 0.79 लाख का भारत के संविधान की धारा 205 के अधीन नियमितीकरण अपेक्षित है। सभी 55 अनुदानों/विनियोगों में ₹ 6,717.45 करोड़ (कुल बचतों ₹ 6,836.94 करोड़ का 98 प्रतिशत) का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष के अंतिम कार्य दिवस में किया गया जिससे इन निधियों का उपयोग किसी अन्य विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये करने की कोई गुंजाइश नहीं रही। 179 मामलों में, ₹ 1,539.34 करोड़ का एकमुश्त प्रावधान करते हुए संशोधित राज्य बजट नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया। ₹ 1,539.34 करोड़ में से ₹ 1,275.09 करोड़ (83 प्रतिशत) अनुपयोजित रहे। वर्ष के अन्त में व्यय की अधिकता एक अन्य चिरकालिक प्रवृत्ति है, जो कमजोर बजटरी नियंत्रण का सूचक है। राज्य सरकार द्वारा माह मार्च 2013 के दौरान आहरित की गई ₹ 2,198.60 करोड़ की राशि बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिये जमा शीर्ष में जमा कराई गई।

(अनुच्छेद 2.2 एवं 2.3)

कुछ अनुदानों की समीक्षा में पाया गया कि (i) राजस्व, आबकारी, लोक निर्माण, जनजाति क्षेत्रीय विकास तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभागों में निरन्तर बचतें थीं, (ii) जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अन्तर्गत तीन योजनाओं में ₹ 22.39 करोड़ का सम्पूर्ण बजट आबंटन, बिना कोई व्यय किये समर्पित किया गया, (iii) गृह विभाग में, वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 की प्राप्तियों की तुलना में वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में क्रमशः 61.9 एवं 97 प्रतिशत की कमी हुई, जबकि राजस्थान पुलिस आवासन एवं निर्माण निगम लिमिटेड के लिए किया गया ₹ 0.50 करोड़ का सम्पूर्ण प्रावधान बिना व्यय किये 31 मार्च 2013 को समर्पित किया गया तथा (iv) शिक्षा, कला एवं संस्कृति विभाग में अनुमानित प्राप्तियों का उचित रूप से आंकलन नहीं किया गया परिणामस्वरूप वर्ष 2010-13 के दौरान प्राप्तियों में (-)2.71 से 575 प्रतिशत का अन्तर रहा।

(अनुच्छेद 2.3.2.1, 2.4 एवं 2.5)

कोषालयों के निरीक्षण से उनकी कार्यप्रणाली में कमियां प्रदर्शित हुईं। ₹ 1.83 करोड़ के सहायतार्थ अनुदान को राजस्व प्रभाग के बजाय पूँजीगत प्रभाग में लेखांकित किया गया। आकस्मिकता निधियों की समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य सरकार द्वारा चार प्रकरणों में आकस्मिकता निधि से अग्रिम हेतु ₹ 19.64 करोड़ की स्वीकृतियाँ जारी की गई, जिसमें से ₹ 3.75 करोड़ की तुरन्त आवश्यकता नहीं थी। नियंत्रण अधिकारियों द्वारा 31 मार्च 2013 तक 659 सारांशीकृत आकस्मिकता बिलों पर आहरित किये गये ₹ 95.57 करोड़ के अग्रिमों के समक्ष विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत नहीं किये थे।

(अनुच्छेद 2.6 से 2.9)

विभाग को निधियों की वास्तविक आवश्यकताओं एवं व्यय की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुये और अधिक वास्तविक बजट अनुमान प्रस्तुत करने चाहिये। बजटरी नियंत्रणों को मासिक व्यय नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। प्रत्याशित बचतों को समय से अभ्यर्पित कर देना चाहिए ताकि निधियों का विभिन्न विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों में उपयोग हो सके। सरकार को आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति केवल अप्रत्याशित एवं आकस्मिक प्रवृत्ति के व्यय को पूरा करने के लिए ही देनी चाहिए। कोषालयों की दोषपूर्ण कार्य प्रणाली से बचने हेतु उनकी प्रणाली का अनुश्रवण होना चाहिये।

(अनुच्छेद 2.10)

वित्तीय रिपोर्टिंग: राज्य सरकार की विभिन्न नियमों, क्रियाविधियों एवं निर्देशों की अनुपालना सन्तोषप्रद नहीं थी। जैसाकि विभिन्न अनुदानित संस्थानों से, कर्जों एवं अनुदानों के समक्ष उपयोगिता प्रमाण-पत्र देरी से प्रस्तुत करने से स्पष्ट है। वर्ष 2011-12 के लिये देय 110 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के वार्षिक लेखे 31 जुलाई 2013 तक प्राप्त नहीं हुये थे। 31 मार्च 2013 को सरकारी धन की हानियों एवं दुर्विनियोजन के ₹ 46.84 करोड़ की राशि के प्रकरण थे। ऐसे प्रकरणों में दोषियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए विभागीय जाँचों में शीघ्रता लायी जानी चाहिए। भविष्य में ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी संगठनों में आन्तरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

(अनुच्छेद 3.2 एवं 3.5)

1,491 निजी निक्षेप खातों में ₹ 2,173.73 करोड़ का अव्ययीत शेष पड़ा हुआ था।

(अनुच्छेद 3.6)

लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय/अन्य प्राप्तियों' के अंतर्गत पुस्तांकित व्यय (₹ 4,888.85 करोड़) एवं प्राप्तियों (₹ 2,364.10 करोड़) की उल्लेखनीय राशियों को, वर्ष 2012-13 के वित्त लेखे में उपयुक्त लेखाशीर्ष में दर्शाया नहीं गया, जिसमें वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता प्रभावित हुई। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त की गई और व्यय की गई राशियों को लघु शीर्ष '800' के अंतर्गत मिलाने की बजाय, राज्य लेखाओं में पृथक रूप में दिखाया जाना चाहिये।

(अनुच्छेद 3.7)